(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 21 (आर ई: 2012)/2009-2014 दिनांकः 09 अक्तूबर, 2012

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I, परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र), 2009-2014 को संशोधित करते हैं।

2. एएनएफ 3ग और एएनएफ 4छ में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों द्वारा मौजूदा उद्घोषणाओं के अंत में निम्नलिखित अतिरिक्त उद्घोषणाओं/वचनबद्धताओं को प्रस्तुत किया जाएगाः-

- मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित माल-भाड़ा, बीमा और कमीशन मूल्य वास्तविक सौदा मूल्यों पर आधारित हैं।
- हकदारी की गणना के लिए, वास्तविक मूल्य अथवा निवल पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 12.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, के अनुसार कमीशन की राशि शामिल की गई है।

3. एएनएफ 4घ, एएनएफ 4च, एएनएफ 4ज और एएनएफ 5ख में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों द्वारा मौजूदा उद्घोषणाओं के अंत में निम्नलिखित अतिरिक्त उद्घोषणाओं/वचनबद्धताओं को प्रस्तुत किया जाएगाः-

- मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित माल-भाड़ा, बीमा और कमीशन मूल्य वास्तविक सौदा मूल्यों पर आधारित हैं।
- हकदारी की गणना के लिए, कमीशन की राशि को हटा दिया गया है।

4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों के साथ ई-बीआरसी को समेकित करने के लिए, उपरोक्त उद्घोषणाओं को अधिदेशाधीन किया जा रहा है।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/61/180/00142/एएम13/पीसी-3 (ई-बीआरसी) से जारी)